

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/समन्वय/सी/2018/159
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30.7.18

1. संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग
उज्जैन, भोपाल, रीवा
ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर
शहडोल, सागर,
2. जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-देवास, राजगढ़, सिंगरौली
भोपाल, ग्वालियर, दतिया, गुना
अनूपपुर, छिन्दवाडा, बुरहानपुर
मंदसौर, नीमच, भिंड, दमोह, मंडला
बालाघाट, सतना मध्यप्रदेश।

विषय:-नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2018 (पूर्वार्द्ध) एवं अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के निर्वाचन वर्ष 2018 हेतु आदर्श आचरण राहिता के प्रभावशील होने के संबंध में।

संदर्भ:-मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक एफ 19-23/2018/1/4 दिनांक 11 जुलाई 2018

विषयांकित प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र एवं पत्र के साथ प्राप्त सहपत्रों की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पृ.कमांक/समन्वय/सी/2018/160
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
3. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक आर.एम.एस.ए.लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, अपर संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 30.7.18

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

1

क्रमांक: एफ 19-23/2018/1/4

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय: नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2018 (पूर्वाद्ध) एवं अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के निर्वाचन वर्ष 2018 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के संबंध में।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 09/07/2018 द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2018 (पूर्वाद्ध) एवं अध्यक्ष को पद से वापस बुलाए जाने के लिए निर्वाचन वर्ष 2018 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रतियां संलग्न हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी।

2/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता की प्रति पूर्व में भेजी जा चुकी है। उक्त निर्देशों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इस संबंध में यथा समय अवगत कराया जावेगा। अतः आदेशानुसार निवेदन है कि आदर्श आचरण संहिता का विधिवत पालन कृपया सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(कमल नागर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 19-23/2018/1/4

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

प्रतिलिपि- उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक एफ-64एनएन-01/2018/पांच/506 दिनांक 09/07/2018 एवं एफ-70एनएन-014/2018/पांच/508 दिनांक 10/07/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

31/7/18
24.7.18

2/24/18
18/7/18

DPI 723-52
23/7/18

8 D
18/7/18

2

1

स्पीड पोस्ट



निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
Email - commissionersec@gmail.com
Ph.No. - 0755-2555527

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

क्रमांक-एफ-53NN-03/2018/पांच/497

भोपाल, दिनांक 09/07/2018

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त
(म0प्र0)

विषय:- नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2018(पूर्वाह्न) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम।

Subject:- Election Program for Bye- Election-2018 for Urban Local Bodies.

संदर्भ- आयोग का पत्र क्रमांक एफ-52एनएन-01/2018/पांच/248-250 दिनांक 02/04/2018.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2018 (पूर्वाह्न) सम्पन्न कराने हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में कार्यक्रम/निर्देश जारी किये गये, जिले से संबंधित नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची जिनमें रिक्त स्थानों (सीटों) की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन कराया जाना है, 01 जनवरी 2018 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार/पुनरीक्षित करने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, आयोग द्वारा नियत दिनांक 02/07/2018 को किया गया है।

2. राज्य में नगरीय निकायों में दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में रिक्त स्थानों (सीटों) की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन 2018(पूर्वाह्न) सम्पन्न कराने के लिये आयोग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 सहपठित मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 के अनुसार आयोग, नगरीय निकायों अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषदों में परिशिष्ट-एक में अंकित नगरीय निकायों (आयोग को प्राप्त रिक्त स्थानों की अनन्तिम सूची में) के उप निर्वाचन-2018(पूर्वाह्न) हेतु, संलग्न परिशिष्ट-दो के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम विहित करता है तथा निर्देशित करता है कि इस कार्यक्रम के अनुसार नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्ररूप-2 में सूचना जारी की जाए। प्ररूप-2 के साथ संलग्न कार्यक्रम के कॉलम (खाना)-5 में यह उल्लेख किया जाए कि नाम निर्देशन पत्र प्रतिदिन पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।

3/ ऐसे नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन की सूचना प्रकाशित न की जाए, जिनके निर्वाचन की कार्यवाही किसी न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत स्थगित की गई हो अथवा जिनके निर्वाचन न कराए जाने के संबंध में आयोग द्वारा पृथकशः आदेश जारी किया गया हो।

(3)

4/ निर्वाचन की सूचना (प्ररूप-2) के साथ-साथ :-

- (i) नियम-22 क के अन्तर्गत प्ररूप-2 क में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा
- (ii) नियम-16 की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाए ।

5/ निम्नलिखित प्रावधानों का ध्यान रखा जाए :-

- (1) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन संबंधी म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 372 दिनांक 30 जून 2018 एवं राजपत्र क्रमांक 375 दिनांक 02 जुलाई 2018 की प्रति सलंगन कर अनुरोध है कि नगरपालिकाओं के उप निर्वाचन में संशोधित प्ररूपों का उपयोग सुनिश्चित करें।
- (2) नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन-2018 (पूर्वार्द्ध) से अध्यक्ष एवं पार्षदों के पद हेतु नाम निर्देशन पत्र आयोग द्वारा तैयार नवीन प्ररूप-3 में ही अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जावे।
- (3) नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन में लिफाफों की संख्या कम करते हुये फाईल फोल्डर का उपयोग कराये जाने का विशेष ध्यान रखा जावे। साथ ही मार्च, 2018 से आयोग द्वारा मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्ररूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समेकित कर एक पी.ओ. बुकलेट और पी.ओ. लीफलेट का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
- (4) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, चल-अचल संपत्ति एवं देनदारियों तथा शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी होगी।
- (5) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70-42/2003/तीन/न.पा./333 दिनांक 10/07/2014 के अनुसार अब मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। यह संशोधित आदेश आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-70एनएन-02/2017/पांच/222 दिनांक 11/04/2017 द्वारा आपको पूर्व में ही प्रेषित किया गया है। तथा आदेश क्रमांक-एफ-70-42/2003/तीन/न.पा./1106 दिनांक 03/11/2014 के अनुसार राजपत्र क्रमांक-282 दिनांक 10/07/2014 में कंडिका-2 का विलोपन किया गया है एवं विलोपन की अधिसूचना राजपत्र क्रमांक-512 दिनांक 03/11/2014 में प्रकाशित की गई है इसकी प्रति आयोग के वेबसाईट पर अपलोड की गई है।
- (6) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 30 एवं 31 में किए गए संशोधन का भी विशेष ध्यान रखा जावे।
- (7) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 26(1) में किए गए संशोधन का भी विशेष ध्यान रखा जावे।
- (8) म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के अध्याय-7 "क" का ध्यान रखा जाये, नगरीय निकायों के आम निर्वाचन ई0व्ही0एम0 से कराया जाना है।

6/ नगरीय निकायों अर्थात् नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् के अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-क तथा 32-ख के अनुसार अपने निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का ब्यौरा रखना होगा। निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता पर म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32ग के अन्तर्गत निरहित किया जा सकेगा। ऐसा ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में रखा जाना होगा, जिसकी प्रतियाँ पूर्व में भेजी गई थी। यदि आवश्यकता हो तो आयोग कार्यालय से पुनः प्राप्त की जाएं।

7/ आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2018 (पूर्वाह्न) में म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 43(2) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की तरह ई0व्ही0एम0 से निर्वाचन हेतु मतपत्र मुद्रण में अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के फोटों मुद्रण कराये जाने का निर्णय लिया गया है अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय अभ्यर्थी से उनके फोटो का साईज 2 cm X 2.5 cm के फोटोग्राफ प्राप्त किये जावें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विषयान्तर्गत जारी पत्र दिनांक 16 मार्च 2015 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। इस संबंध में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक द्वारा की जाने वाले घोषणा संबंधी प्रारूप पत्र भी संलग्न है जो नाम निर्देशन पत्र के साथ प्राप्त किया जाना है।

8/ आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष-2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-10) में वर्णकम निर्धारण हेतु म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 30(3)के तहत विहित प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। आयोग का पत्र क्रमांक एफ-57एनएन-1/2017/पांच/205 दिनांक 01/04/2017 एवं संशोधित पत्र क्रमांक एफ-57/एनएन/-1/2017/पांच/478 दिनांक 02/07/2018 के अनुसार कार्यवाही की जाना है।

9/ निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियां मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 तथा आयोग के द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार की जाएं।

10/ आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-70-80/2014/तीन/न.पा./313 दिनांक 16/06/2016 के द्वारा नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन-2016 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः यह निर्वाचन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराये जावेंगे।

11/ आयोग के पत्र क्रमांक एफ-70-36/2015/तीन/नपा0/256 दिनांक 20/04/2016 द्वारा नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन में लिफाफों की संख्या कम करते हुए, फाईल फोल्डर का उपयोग किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये है। कृपया उन निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

12/ निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा किये जाने तक की समस्त प्रक्रियाये, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑन लाईन एप्लीकेशन IEMS(Integrated Election Management System) के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

13/ निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय तौर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

14/ इस निर्वाचन के संबंध में आयोग को आवश्यक जानकारी पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्ररूपों में यथा समय प्रेषित की जाए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन भेजा जाए, निर्विरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप-14 में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा मतदान की स्थिति में प्ररूप-23 में (जैसी भी स्थिति हो) विवरणी की प्रति समयावधि में आयोग को अवश्य भेजी जाए।


15/ निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित नगरीय निकायों (संलग्न परिशिष्ट-एक) के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी। अतः आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

16/ नगरीय निकायों से संबंधित/आदेश/परिपत्र/निर्देश आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

17/ इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति आयोग को ई-मेल द्वारा तत्काल भेजी जाए।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Email address -commissionersec@gmail.com


(दीपक सक्सेना)


उप सचिव

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

पृ० क्रमांक-एफ-53NN-03/2018/पांच/498
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 09/07/2018

- (1) मुख्य सचिव, म०प्र०शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- (2) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- (3) अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (4) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (5) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
- (6) प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
- (7) पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
- (8) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
- (9) संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ।
- (10) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल।
- (11) आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित।
- (12) आयुक्त-सह-नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री म०प्र०, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था हेतु अग्रेषित।
- (13) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
- (14) अवर सचिव, (विधि) म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
- (15) उपसंचालक (बजट), म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (16) म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (17) बजट/व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (18) आई.टी. शाखा प्रभारी, म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग।
- (19) गार्ड फाईल।


(प्रदीप शुक्ला)

अवर सचिव

म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल




नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2018 (पूर्वाह्न)
रिक्तियों की अनन्तिम सूची

1. अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन

स0क्र0	जिला	नगरीय निकाय का नाम
1.	देवास	नगर परिषद् करनावद
2.	राजगढ़	नगर परिषद् खिलचीपुर

2. पार्षद पद का उप निर्वाचन

स.क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम
01	सिंगरौली	1	नगरपालिक निगम सिंगरौली वार्ड क्र. 35
02	भोपाल	2	नगरपालिक निगम भोपाल वार्ड क्र. 41
		3	नगरपालिका परिषद् बैरसिया वार्ड क्र. 13
		4	नगरपालिका परिषद् डबरा वार्ड क्र. 28
03	ग्वालियर	5	नगरपालिका परिषद् दतिया वार्ड क्र. 13
04	दतिया	6	नगरपालिका परिषद् राधोगढ़ विजयपुर वार्ड क्र. 15
05	गुना	7	नगरपालिका परिषद् बिजुरी वार्ड क्र. 08
06	अनूपपुर	8	नगरपालिका परिषद् जुन्नारदेव वार्ड क्र. 13
		9	नगर परिषद् न्यूटन चिखली वार्ड क्र. 12
07	छिन्दवाड़ा	10	नगरपालिका परिषद् नेपानगर वार्ड क्र. 02
08	बुरहानपुर	11	नगर परिषद् शामगढ़ वार्ड क्र. 01
09	मंदसौर	12	नगर परिषद् सरवानिया महाराज वार्ड क्र. 09
10	नीमच	13	नगर परिषद् गोरमी वार्ड क्र. 09
11	भिण्ड	14	नगरपालिका परिषद् दमोह वार्ड क्र. 20
12	दमोह	15	नगर परिषद् निवास वार्ड क्र. 14 एवं 15
13	मण्डला	16	नगरपालिका परिषद् मलाजखण्ड वार्ड क्र. 25 एवं 26
14	बालाघाट	17	नगरपालिका निगम सतना वार्ड क्र. 10
15	सतना		



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल - 462011

उप निर्वाचन नगरीय पूर्वार्ध 2018 (चरण - प्रथम)

परिपत्र क्रमांक - एफ-53NN-03/2018/पांच/496

भोपाल, दिनांक - 09/Jul/2018

मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा - 14(1), 20(2) (क)

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा - 32(1), 36(2) (क)

मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 का नियम - 21

स.क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
1	I. निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन - पत्र प्राप्त करना	21, 22	11 Jul 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से
	II. स्थानो(सीटो) के आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना का प्रकाशन	22 (क)	11 Jul 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से
	III. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	11 Jul 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से
2	नाम निर्देशन - पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	18 Jul 2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
3	नाम निर्देशन - पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	19 Jul 2018	गुरुवार	प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21 (ग)	21 Jul 2018	शनिवार	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीको का आवंटन	30, 31	21 Jul 2018	शनिवार	अभियार्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	03 Aug 2018	शुक्रवार	प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक
7	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा	21(ड)	07 Aug 2018	मंगलवार	प्रातः 09:00 बजे से

[Handwritten Signature]
उप सचिव 9/7/18

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग

8

7



निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
भूपस : बवउउपेपवदमतेमब / हउंपसण्ववउ
घेण्छवण . 0755.2555527

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

क्रमांक एफ 53--NN--01 / 2018 / पॉच / 499

भोपाल, दिनांक 09/07/2018

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-रीवा, खरगौन एवं बालाघाट
(म0प्र0)

विषय:- नगर परिषद, सिरमौर, जिला-रीवा, नगर परिषद, करही पाण्डल्याखुर्द
जिला-खरगौन एवं नगर परिषद, लांजी जिला-बालाघाट के अध्यक्ष को अपने पद से
वापस बुलाये जाने के संबंध में निर्वाचन के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना
प्रकाशित किया जाना ।

मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप धारा-2 के अंतर्गत
राज्य शासन से नगर परिषद, सिरमौर, जिला-रीवा, नगर परिषद, करही पाण्डल्याखुर्द
जिला-खरगौन एवं नगर परिषद, लांजी जिला-बालाघाट के अध्यक्ष को अपने पद से वापस
बुलाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः इस अधिनियम की धारा 47 की उप धारा-3 सहपठित
मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75-ग के अंतर्गत उपर्युक्त नगरीय
निकायों के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन
आयोग एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम विहित करता है, साथ ही
आयोग निर्देशित करता है कि इस कार्यक्रम के अनुसार नियम, 75-ग के अंतर्गत अध्यक्ष को
अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की सूचना निर्धारित प्ररूप-25 में जारी की
जाये।

2/ यह निर्वाचन 01 जनवरी, 2018 की संदर्भ तारीख के आधार पर आयोग द्वारा तैयार
की गई मतदाता सूची के आधार पर कराये जायेंगे ।

3/ निर्वाचन की सूचना के तत्काल बाद उसी दिन नियम-75-ड के अनुसार मतदान
केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाए । साथ ही उसी दिन
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियम, 75-च के अनुसार प्रतीक चिन्ह विहित कर प्ररूप-26 में प्रकाशित
किये जाये । निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन परिणाम की घोषणा नियम 75-ज के अंतर्गत
निर्धारित प्ररूप-27 में की जाकर इसकी सूचना तत्काल आयोग को दी जाए ।

4/ निर्वाचन के संचालन की समस्त कार्यवाही मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम,
1994 एवं इनमें किये गये संशोधनों (जिनका प्रकाशन किया गया है) के अनुसार किया जायेगा।

निर्देशों के अनुसार किया जाए। संशोधित नियमों एवं निर्देशों के सेट आपको अलग से प्रेषित किये जा चुके हैं। निर्वाचन ई.व्ही.एम. से कराये जाने संबंधी निर्देश भी जिले को पृथक से प्रेषित किये गये हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु जारी पत्र की प्रति संलग्न है।

5/ आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 69 एन.एन.-01/2017/पॉच/420 दिनांक 07/07/2017 के द्वारा नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष को पद से वापस बुलाए जाने संबंधी निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः यह निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन से कराये जावेंगे।

6/ निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर परिषद, सिरमौर, जिला-रीवा, नगर परिषद, करही पाण्डल्याखुर्द जिला-खरगौन एवं नगर परिषद, लांजी जिला-बालाघाट के नगरीय क्षेत्र के लिये आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है।

7/- इस पत्र प्राप्ति की अभि-स्वीकृति आयोग को फैंक्स द्वारा भेजी जाए।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(दीपक सक्सेना)
उप सचिव,

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
पृष्ठांकन क्रमांक एफ 53- NN-01/2018/पॉच/500 भोपाल/दिनांक 09/07/2018

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संभागीय आयुक्त, रीवा/इन्दौर/जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश।
5. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्य प्रदेश की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. आयुक्त-सह-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल।
7. आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल।
8. उपसंचालक (बजट) राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
9. आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. कम्प्यूटर कक्ष।
11. गार्ड फाईल।

(प्रदीप शुक्ला)
09/07/2018


अवर सचिव,

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

नगर परिषद, सिरमौर, जिला-सीवा, नगर परिषद, करही पाण्डल्याखुर्द जिला-खरगौन
 एवं नगर परिषद, लांजी जिला-बालाघाट के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने हेतु निर्वाचन-2018

निर्वाचन कार्यक्रम

क्र०	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75-ग 75-घ	11/07/2018	बुधवार	प्रातः 10:30 बजे
2.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75-ङ	11/07/2018	बुधवार	उपरोक्तानुसार
3.	प्रतीकों का आवंटन	75-च 75-छ	11/07/2018	बुधवार	उपरोक्तानुसार
4.	मतदान	75-ग (एक)	03/08/2018	शुक्रवार	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक
5.	मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा	75-ग (दो) 75-ज	07/08/2018	मंगलवार	प्रातः 9:00 बजे से


 (दीपक सक्सेना)
 उप सचिव,

म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल



50
